न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 77/2022 राजस्व वाद

01. सोहन लाल पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा आयु 75 वर्ष निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादी

बनाम

01. भंवर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिह राजपूत आयु वयस्क निवासी– उमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शोभा सिंह पुत्र श्री प्रताप सिह राजपूत आयु वयस्क निवासी– उमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सफू कंवर पुत्री श्री प्रताप सिह राजपूत आयु वयस्क निवासी– उमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सागर कंवर पुत्र श्री प्रताप सिह राजपूत आयु वयस्क निवासी– उमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्रीमती रामकंवर पत्नी श्री फतेह सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– उमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. श्रवण कुमार पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सत्यनारायण पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– खुमानपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. राजमल पुत्र श्री अम्बा लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. गोपाल पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. रतन लाल पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
12. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 11
3. एकपक्षीय ––प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10

:: निर्णय :: दिनांक–03.09.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89,92–क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 713 मे आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 796/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 797/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0. 3162 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.8979 हैक्टयर, आराजी नम्बर 804/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 2.9467 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 एवं गजरकंवर के नाम पर दर्ज है, गजर कंवर का देहान्त हो चुका है, जिसके वारीस प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात जो कि काली मंगरी नामी आराजियात के नाम से जानी जाती है। उक्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 1057, 1057/1 है। वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1057 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा मे से 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे 3/4 हक हिस्सा शिवनारायण पुत्र श्री गुणेशराम व्यास व 1/4 हक हिस्सा प्रताप सिह पुत्र श्री रामसिंह चुण्डावत द्वारा दिनांक 09 नो जुलाई 1975 उन्नीस सौ पिचेहतर को रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय की गयी व उक्त खातेदारान द्वारा उक्त भूमि वादी के पिता बंशी लाल पुत्र श्री कनीराम शर्मा को विकय कर द्वारा दिनांक 01 एक दिसम्बर 1976 उन्नीस सौ छिहेतर को 3/– रूपये 50 पैसे का स्टाम्प कय कर मगसर सुदी 12 संवत 2033 को बिकावनामा निष्पादित किया गया व उक्त भूमि का कब्जा वादी के पिता बंशी लाल जी सिपुर्द किया गया , तत्समय उक्त भूमि खातेदारान के नाम पर दर्ज नही होने से बाद मे वादी के पिता बंशी लाल जी के नाम पर दर्ज कराने का विश्वास दिलाया गया। बंशी लाल जी उक्त भूमि पर कय की दिनांक से काबिज हुए व बंशी लाल जी के देहान्त उपरान्त उनके वारीस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 10 दस जो कि बंशी लाल जी के पोत्र व पुत्र है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 10 दस द्वारा उक्त भूमि का वादी से प्रतिफल प्राप्त कर वादी के हक हिस्से मे ही रखी गयी, जिस पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा। उक्त भूमि खातेदारान शिवनारायण व प्रताप सिह के नाम पर रजिस्टर्ड विकयपत्र के बावजूद भी दर्ज नही होने से सब डिविजनल ऑफिसर , भीलवाड़ा के यहां वादपत्र पेश किया गया व उक्त खातेदारान व उनके वारीसान द्वारा उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज होने पर वादी के नाम पर दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात खातेदार प्रताप सिंह का देहान्त हो चुका है, जिसके वारीस प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 है व उक्त भूमि खातेदार प्रताप सिंह व शिवनारायण के नाम पर दर्ज होने पर खातेदार शिवनारायण द्वारा वादी के कहे अनुसार वादी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 06 एंव 07 सात के नाम पर दर्ज करा दी व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 को उनका 1/4 हक हिस्सा उनके पिता व श्वसुर प्रताप सिंह द्वारा वादी के पिता बंशी लाल जी को विकय कर देने व उनका कोई हक अधिकार नही होने से वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच पहले तो जल्दी ही वादी के नाम पर कराने का आश्वासन देकर चक्कर देते चले आ रहे , लेकिन आज दिन तक नाम पर नही करायी। दिनांक 01 एक जून 2022 दो हजार बाईस को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच को उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच साफ तौर इंकार कर दिया व उनका नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने से वादी को जबरन बेदखल करने व आराजीयात को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 713 मे आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 796/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 797/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0. 3162 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.8979 हैक्टयर, आराजी नम्बर 804/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 2.9467 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 के पिता व श्वसुर प्रताप जी द्वारा अपना 1/4 हक हिस्सा वादी के पिता बंशी लाल जी को दिनांक 01 एक दिसम्बर 1976 उन्नीस सौ छिहेतर को 3/– रूपये 50 पैसे का स्टाम्प कय कर मगसर सुदी 12 संवत 2033 को विकय कर देने से उनका कोई

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

हक अधिकार नही होने से वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच एंव गजर कंवर बेवा प्रताप सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा उनके 1/4 हक हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घौषित होने व अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है, तद्नूसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना आवश्यक एवं सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 713 मे आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 796/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 797/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0.3162 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.8979 हैक्टयर, आराजी नम्बर 804/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 2.9467 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 के पिता व श्वसुर प्रताप जी द्वारा अपना 1/4 हक हिस्सा वादी के पिता बंशी लाल जी को दिनांक 01 एक दिसम्बर 1976 उन्नीस सौ छिहेतर को 3/– रूपये 50 पैसे का स्टाम्प कय कर मगसर सुदी 12 संवत 2033 को विकय कर देने से वादी के पिता व वादी का निरन्तर रूप से विगत 46 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा एंव उपयोग उपभोग होने से वादी एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच एंव गजर कंवर बेवा प्रताप सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा उनके 1/4 हक हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घौषित होने व अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है, तद्नूसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी व वादी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण बाद तामिल कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व वादी द्वारा अपनी साक्ष्य मे अपना स्वयं का मौतबीरान व्यक्तियो के शपथपत्र भी पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

वादी द्वारा वादपत्र के साथ जमाबंदी की नकल, विकयपत्र की प्रतिया व दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 713 मे आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 796/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 797/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0.3162 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.8979 हैक्टयर, आराजी नम्बर 804/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 2.9467 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 के पिता व श्वसुर प्रताप

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड

जी द्वारा अपना 1/4 हक हिस्सा वादी के पिता बंशी लाल जी को दिनांक 01 एक दिसम्बर 1976 उन्नीस सौ छिहेतर को 3/– रूपये 50 पैसे का स्टाम्प क्रय कर मगसर सुदी 12 संवत 2033 को विक्रय करना साबित व साथ ही वादी व मौतबीरान स्वतंत्र गवाहान के अनुसार उक्त भूमि पर वादी का क़ब्जा है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 व गजर कंवर बेवा प्रताप सिंह का नाम विलोपित कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करने पर अपूरणीय क्षति होगीं, इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 713 मे आराजी नम्बर 788/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 796/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 797/1 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 798 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 799 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0.3162 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 802 रकबा 0. 4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 803 रकबा 0.8979 हैक्टयर, आराजी नम्बर 804/1 रकबा 0.4679 हैक्टयर कुल किता 10 दस रक़बा 2.9467 हैक्टयरमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच एवं गज़र कंवर बेवा प्रताप सिंह का नाम विलोपित करें, उनके नाम दर्ज कुल 1/4 हक हिस्सा (यानि प्रत्येक प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 व गजर कंवर का 1/24) की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजियातमे वादी के हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

([illegible] योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)